

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602908

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00208

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
693मि	1) नन्हू अलीमुल्ला नि मिलक भोला सिंह (सोनकपुर) 2) रमजानी अलीमुल्ला नि मिलक भोला सिंह (सोनकपुर)		पू1379फ	693मि. (1151920693200112)	0.1890	1) 1/2 2) 1/2	1) 0.0945 2) 0.0945	6.91
							0.1890	

कुल गाटा- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1890 हेक्टेयर कुल भू-राजस्व - 6.91 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1890) हेक्टेयर

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		693मि. (1151920693200112)			693मि.(1151920693200112)	

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :



(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:VIPNESH GUPTA(RAGISTRAR KANOONGO)

दिनांक समय स्थान: 12-02-2026 04:01:45 तहसील : मुरादाबाद

यह उद्घरण खतोनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : TUSHAR BHATNAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 04:01:45

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतोनी का
वेरीफिकेशन <https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR
Code Scan करके किया जा सकता है।



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602907

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00377

श्रेणी : 4-क उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण,अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा गाटा संख्या	(2) नाम पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
693मि	1) अतिरिक्त घोषित भूमि --- ---			693मि(1151920693200242)	0.2440	1) 1/1	1) 0.2440	0.00
							0.2440	

कुल गाटे : 1 कुल क्षेत्रफल - 0.2440 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.2440)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	
		693मि(1151920693200242)			693मि(1151920693200242)		

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :



आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.150/न.भू.सी.2003दि.1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की सं.93दि.19.5.2003 के द्वारा वाद सं.315/2001सरकार बनाम पूरन मे अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 2) 1410फ आदेशानुसार रा० नि० पाकवड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 3) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ./मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर मे गाटा सं. 263पर अमलदरामद मे हुई नुटि का परीक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि/1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हो ह.ले.25-10-02
- 4) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.647/ 31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240,295,370, के गाटा सं0 263मि/2.27एकड़ मे से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्रोई पुत्र रामसरन विश्रोई नि.वी.एस-41 दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वहीसियत मुख्तयारेआम
- 5) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झाँझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्रोई पत्नी रामराज सिंह विश्रोई वि.एस.-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजरासिंह पुत्र रामसरनसिंह नि.विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 6) ह.ले.31-1-03
- 7) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/ 22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि/0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश: 2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास नि.झाँझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह.ले.31.1.03
- 8) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु.पुनिया मे गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि -2043 20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह० व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 9) स्व०ओमप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह०व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अपंजीकृत वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो । प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ले.24.1.04
- 10) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी./03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्रगत भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है । पूरन और पुनिया दोनो की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति मे
- 11) मे गाटा सं.263मि.जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैध वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04
- 12) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/ 23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि/0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊ पा वर्मा पत्नी घनश्याम वर्मा नि.बाजार कलौ मंडावर बिजनौर
- 13) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व०राजबहादुर नि. लाईनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए बेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 14) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक सं. 1.220B/न.भू.सी/2001दि. 2.3.01के अत्रतगत वाद सं. 1.264/2699सरकार बनाम नरायणदास मे धारा 45के अत्रतगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94मे गाटा सं. 1.336मि/ 1983.03वर्ग मी.गाटा सं. 1.263मि/2116.20वर्ग मी.
- 15) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू- धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो ह. ले. 11.5.2001
- 16) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकवड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता सं. 1.370से मृतक नरायनदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायनदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायनदास नि.ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह. ले. 10.4.2002
- 17) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं0688/134/1601/06आदेश दिनाक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातास0370गाटास0303मि रकवा 0.221व गाटास0239मि 0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनाक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 18) ग् गंगाराम उर्फ गजरास व कु व् रिसेन पुत्र खिम्मी नि०सोनकपुर का नाम तथा बादह विक्र य पत्र ग् गंगाराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव० विक्र य पत्र अमृत लाल आदि बहक कें चन तलवार के आधार पर ग्राम सोनकपुर स्थित आराजी खातास0370गाटास0303मि/ 0.221है० मे से 0.202भाग से ग् गंगाराम उर्फ गजरास
- 19) व कु वर सेन पुत्र खिम्मी नि०सोनकपुर का नाम खारिज क रके श्रीमती कें चन तलवार पत्नी सी०एल०तलवार नि०102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो ह०आर०के ०दिनाक 31-1-07

- 30) आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक सू. 1321/न.भू.सी./2001 दि. 14.5.01 सू. लिग्न पत्रांक सू. 10890/न.भू.सी./99 दि. 8-4-99 के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं नगर भूमि अधिनियम 1976 की धारा 10(1) के अन्तर्गत भू-धारिका श्रीमती कमला वही पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लाईन मुरादाबाद सोनकपुर स्थित गाटा सू. 10355 के 1/2 भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2) के अन्तर्गत आदेश दि. 12.5.98 को भू-धारक के पक्ष में छोड़ दिया है ह.ले. 2.7.01
- 31) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सू. 10235/न.भू.सी./07 दि. 29.11.07 के अन्तर्गत पूर्व में अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सू. 1.90 मि. 1423.20 वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा सू. 1.516 मि. 1144.72 वर्ग मी. कु. ल. 2567.92 वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री तलवीर सरन भटनागर पुत्र स्व. रामचन्द्र नि. हरथला मुरादाबाद के पक्ष में दर्ज हो तथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागर पुत्र रामचन्द्र नि. हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वाद सू. 1.448 5011 में सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा सू. 1.516 रकवा 1144.72 वर्ग मी. 0 ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सू. 1.90 मि. रकवा 1423.20 वर्ग मी. 0 कु. ल. 2567.92 वर्ग मी. 0 भूमि पर तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90 को राज्य सरकार में पक्ष में कब्जा लिया गया। अतः उक्त भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज हो ह.आर.के. 010.3.08
- 32) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि. 23.10.08 के अनुपालन में आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं. 305/944 धारा 45 नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि. 10.4.92 के अन्तर्गत सरकार
- 33) वनाम जेठू में गाटा सं. 866 व 844 जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर स्थित है की क्रमशः 4856-40 वर्ग मी. 0 व 647.52 वर्ग मी. 0 अर्थात् कुल 5503.92 वर्ग मी. 0 भूमि उसकी कुल 8393.52 वर्ग मी. 0 में से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60 वर्ग मी. 0 भूमि होती है
- 34) अतः भू-धारक की 889.60 वर्ग मी. 0 भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा सं. 650 से अभ्यर्पित की जायेगी तदनुसार आदेश दि. 8.8.77 संशोधित समझा जाय। ह.आर.के. 0 दि. 3.11.08
- 35) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158/न.भू.सी./08 दि. 30.7.08 के अनुपालन में पत्रांक 114/न.भू.सी./03 दि. 28.5.03 के अन्तर्गत सीलिंग वाद सू. 1.1532.5019 में दायर अपील में माननीय अपर जिलाजज षष्ठम मुरादाबाद के
- 36) आदेश दि. 29.5.95 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्ड किया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका सू. 16729/97 माननीय न्यायालय के आदेश दि. 15.3.97 के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात् निरसन अधिनियम
- 37) 1999 प्रभावी हो जान के कारण सू. सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 4.3.2003 के द्वारा उक्त वाद निरसित किया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदनुसार वाद में कब्जा ली गई निम्न लिखित भूमि पर भू-धारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान
- 38) पर भू-धारक श्री बालकिशोर भटनागर पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र नि. हरथला के नाम दर्ज हो ग्राम का नाम/गाटा सू. 1/क्षेत्रफल वर्ग मी. 0 में क्रम सू. 1-ग्राम मऊ गाटा सू. 1.516 मि. रकवा 1144.72 वर्ग मी. 0 व 2-ग्राम सोनकपुर गाटा सू. 1.90 मि. रकवा 1443.83 वर्ग मी. 0 कुल 2 कित्ता रकवा 2588.55 वर्ग
- 39) मी. 0 ह.आर.के. 07.3.09
- 40) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद, वाद सं. 1856/28.5.09 को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं. 385 के खसरा न. 866 रकवा 0.486 हे. 0 लगानी बमुजिब, खतीनी के पूर्ण भाग में से 0.80 एकड़ पर से विक्रेता, चन्द्रसेन पुत्र स्व. जेठू निवासी मिलक भोला सिंह तह. 0
- 41) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर क्रेता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह. 0 अमरोहा जिला जे.पी. नगर का नाम सहखातेदार के साथ सं. 0 भू. 0 के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92 के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात् मृतक शेर सिंह, पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह. 0.
- 42) अमरोहा जिला जे.पी. नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल, निवासी हाल खुशहालपुर तह. 0 व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95 सं. 0 भू. 0 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो ह.आर.के. 5.6.09
- 43) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं. शून्य /2007-08 धारा 219 एल. 0 आर. 0 एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008 के अन्तर्गत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं. 195 पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008 के लिए नोटिस जारी
- 44) किये जाय। अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अपील सं. 789/07 एवं अपील सं. 26/123 उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं. 353/03 भानुप्रकाश वनाम मु. पुनिया तथा वाद सं. 97 भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- 45) पुनिया तलव की जाय। तब तक प्रतिपक्षी सं. 1 भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि. दलपतपुर तह. 0 व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण विक्रय करने से निषेध किया जाता है। ह.आर.के. 0 दि. 25.7.09
- 46) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि. 22.9.09 के अनुपालन में आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/न.भू.सी./08 दिनांक 3.10.08 के अन्तर्गत शासन देश सं. 513/उन्चास-152(47) यू.सी. 0/83 दिनांक 6.9.86 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते
- 47) हुये नये सिरे में भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावर्तित की गई। तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 24.12.87 द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित स्थित गाटा सं. 879 से

- 10) गाटा स्. 873 से 654.44 वर्ग मीटर कुल 9598.31 वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई। सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 17.2.01 के निरसन अधिनियम 1999 के अनुसार वाद पत्राक पत्रावली निक्षेप की गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01 के द्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा स्. 879/8943.87 वर्ग मीटर कुल 654.44 वर्ग मीटर से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकित करने हेतु लिखा गया।
- 11) जबकि उक्त वाद में गाटा स्. 879/8947.87 वर्ग मीटर गाटा सं. 873 रकबा 1059.14 वर्ग मीटर का कब्जा दिनांक 22.3.79 को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया। अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व जारी पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01 के प्रस्तर-3 में अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स्. 873/654.44 वर्ग मीटर के स्थान पर 1059.14 वर्ग मीटर सही पढा जाय। ह0आर0के 023.9.09
- 12) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न0भू0सी0/010 दिनांक 30.4.10 के अत्रगत वाद सं. 2759/101 सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0 में धारा 10(3) के उपरान्त धारा 10(5) की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999 के अत्रगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 20.2.08 के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतः गाटा सं. 538/1133.16 वर्ग मीटर गाटा सं. 541/654.45 वर्ग मीटर भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0 मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर0के 05.5.10
- 13) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद वाद स्. 455/28.5.10 को आदेश हुआ कि खाता स्. 385 के गाटा स्. 866/0.486 हे. लगान व मुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्रेता चन्द्र सेन पुत्र स्व0 जेहू नि0 ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रेता उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के 016.6.10
- 14) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद स्. 117/28.5.10 को आदेश हुआ कि खाता स्. 385 के गाटा स्. 866/0.486 हे. लगान व मुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्रेता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि0 ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रेता उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के 027.7.10
- 15) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद स्. 77/10 धारा 143 ज0वि0 अधि0 आदेश दि. 18.6.10 के अत्रगत में हिन्द निहोन प्रोटीन्स वनाम सरकार में तहसील आख्या/सस्तुति के आधार पर खाता स्. 30 गाटा स्. 566/0.028 का 1/2 भाग एंव खाता स्. 385 के गाटा स्. 538 मि/0.113
- 16) 541/0.065 हे. को अकृषिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह0आर0के 018.8.10
- 17) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं. 31/820/454/2011-12 धारा 34 LR ACT ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं. 371 गाटा सं. 263/2043.20 वर्ग मीटर भानुप्रकाश वनाम मु0 पुनिया में दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्रुत वाद में वसीयत अपंजीकृत होने के फलस्वरूप धारा 169 में हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 में मौके पर आबादी/गैर कृषि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विधि लागू है, विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, उक्त विवेचना के आधार पर नामान्तरण प्रशूचना निरस्त की जाती है। ह0आर0के...1.4.2013
- 18) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण - सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न0भू0सी0/ रिट0/2014 दिनांक 18 नवम्बर 2014 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 35789/2011 स्व. खमानी बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) में पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक 31.10.2014 के अनुपालन में ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं. 669 रकबा 2549.61 वर्ग मीटर भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते में अंकित है, जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये, शासनादेश संख्या 319 जी0क दिनांक 14.01.1980 में धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों का रिमार्क कॉलम में अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग केवल कृषि के लिये कि या जायेगा, 2- भूमि प्लानिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा, परन्तु कृषक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 19) कि या जायेगा, 3- कृषक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन) में उल्लिखित कि सी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट किरी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष में कि या जा सके गा, ह0आर0के...2.12.2014
- 20) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वाद सं. 01/2151354014307 आदेश दि. 24.8.15 को आदेश हुआ कि खाता सं. 371 के गाटा सं. 263/1 रकबा 0.2020 हे. अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान व मुजिव खतौनी पर अंकित मृतका श्रीमती पूनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 21) स्व0 ओमप्रकाश नि0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं. भू0के रूप में अंकित हो। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प0क0।। ख आदेश दि. 12.2.1994 निरस्त कि या जाता है। ह0आर0के 031.8.15
- 22) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वाद सं. 01/20151354014413 धारा 210 एल0आर0एक्ट आदेश दि. 28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि बनाम भानुप्रताप शर्मा में खतौनी वर्ष 1420-25 के खाता सं. 371 के खसरा नं. 263/1 रकबा 0.2020 हे. अर्थात् 2020.00 वर्ग

- श्रीमान बमजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है । ह0आर.के 07.9.15
- 68) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T20141354015842 आदेश दि. 15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371के खसरानं.873मि रकवा 0.040हे. लगान खतौनी के बकदर भाग मे से 0.0100हे. पर से विक्रेता वफाती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 69) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्र ेता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेन्द्र सक्सेना निवासी डी-73 , आवतिका कालौनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे बजरिये बेनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं0भू0के रूप मे दर्ज हो । ह0आर.के 0 68) 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर त्रुटिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. T20141354015892 आदेश दि.15.09.15 दर्ज हो गया है । की त्रुटि की शुद्धि करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर अंकि त कि या जाता है । ह0आर.के 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद , पत्रांक 2060/न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फै जबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं -316/1589 मे धारा -45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है ,जिसके सम्बन्ध मे धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे , अमलदरामद कि या गया , लेकिन न प्रश्नगत वाद मे धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम -1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है, ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकि त करें . ह0आर.के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0भू0सी0/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजवख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 मे धारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध मे धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों ह0आर.के 23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 436/5216 सरकार बनाम छोटेलाल में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हों ह0आर.के 0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों, ह0आर.के 0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0798मि0 की उद्घरण खतौनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमे 0.3080हे0अर्थात 3080वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं0 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं0 190/602सरकार बनाम मुख्खार मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564.25व0मी0भूमि सीलिंग से मुक्त है अत : ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 3080व0मी0भूमि जिसपर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो । के स्थान पर श्री अख्तर ,मटरू एवं श्री मुख्खार अथवा उनके वैध वारिसो के नाम दर्ज हो । ह0आर.के0दि 12.8.16
- 80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं0 टी 20151354014413धारा 210एल0आर0एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा मे आदेश दि 28.9.16के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015को भी निरस्त किया गया है खतौनी वर्ष 1420फ से 1425फ

371 के ससस नं० 263/1 रकबई 0.2020हे०अर्थात 2020.00वर्ग मीटर लगान वमूजीब दर्ज हो ह०आर०के०दि 03.10.16

के आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन मे आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या 10092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि मे ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed, ह०आर०के०दि 03-10-17

82) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न०भू०सी०/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सीलिंग वाद संख्या 316/1589 सरकार बनाम श्री महबूब आदेश दिनांक 28-05-2016 म०उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र०सरकार मे ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 रकबई 4168-41 व गाटा संख्या 547 रकबई 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन मे उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महबूब अथवा उसके वेध वारिसानो के नाम दर्ज हो ह०आर०के०दि 03-10-17

83) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन मे जिलाधिकारी मुरादाबादके आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 17-06-16 व 04-08-16 अपास्त किये गये है तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटेलाल अथवा उसके वेध वारिसानो के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का बालकिशन अथवा उसके वेध वारिसानो के नाम एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219/न०भू०सी०/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 3080 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो के स्थान पर भूधारक श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वेध वारिसानो के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये है दिनांक 12-08-16 को वापस ले लिया गया है तदनुसार उक्त पत्रों के आधार पर भूधारकों के पक्ष मे किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता है ह०आर०के०दि 24-3-17

84) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन मे - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं टी201813540100557 धारा 144 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के निस्तारण तक मौके पर यथा स्थिति बनाये रखे ह०आर०के०दि 19-02-18

85) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एस०बी०तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी० 2017130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 27-07-2017 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं० 371 के गाटा सं० 263/1 रकबा 0.202हे० अर्थात 2020.00 वर्ग मी० पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/08/15 एवं अपीलीय न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28/09/2016 में किसी हस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है . इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो, भी निरस्त किया जाता है ह०आर०के० दि 19/05/2018

86) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा०नि० दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 20201313500719001441 राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक 19.11.2020 को आदेश हुआकि खाता सं० 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह ,ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि०भोगपुर मिठौनी के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह०आर०के०दि 28.12.2020

Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT(REGISTERAR KANOONGO)

दिनांक:समय:स्थान: 12-02-2020 04:01:37 तहसील : मुरादाबाद

एक आदेश काटने की प्रतिलिपि सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा जहाँ डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : JUSHAIR BHATNAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2020 04:01:37

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण सचिनी का वेरीफिकेशन <https://apkhkh.gov.in/Website> पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602907

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00377

श्रेणी : 4-क उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण,अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा गाटा संख्या	(2) नाम पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
693मि	1) अतिरिक्त घोषित भूमि --- ---			693मि(1151920693200242)	0.2440	1) 1/1	1) 0.2440	0.00
							0.2440	

कुल गाटे : 1 कुल क्षेत्रफल - 0.2440 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.2440)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	
		693मि(1151920693200242)			693मि(1151920693200242)		

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :



आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.150/न.भू.सी.2003दि.1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की सं.93दि.19.5.2003 के द्वारा वाद सं.315/2001सरकार बनाम पूरन मे अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 2) 1410फ आदेशानुसार रा० नि० पाकवड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 3) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ./मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर मे गाटा सं. 263पर अमलदरामद मे हुई नुटि का परीक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि/1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हो ह.ले .25-10-02
- 4) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.647/ 31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240,295,370, के गाटा सं0 263मि/2.27एकड़ मे से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्रोई पुत्र रामसरन विश्रोई नि.वी.एस-4। दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वहीसियत मुख्तयारेआम
- 5) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झाँझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्रोई पत्नी रामराज सिंह विश्रोई वि.एस.-4। दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजरासिंह पुत्र रामसरनसिंह नि.विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 6) ह.ले.31-1-03
- 7) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/ 22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि/0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश: 2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास नि.झाँझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह.ले. 31.1.03
- 8) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु.पुनिया मे गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि -2043 20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह० व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 9) स्व०ओमप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह०व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अपंजीकृत वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो । प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ले.24.1.04
- 10) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी./03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्रगत भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है । पूरन और पुनिया दोनो की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति मे
- 11) मे गाटा सं.263मि.जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैध वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04
- 12) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/ 23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि/0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊ पा वर्मा पत्नी घनश्याम वर्मा नि.बाजार कलौ मंडावर बिजनौर
- 13) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व०राजबहादुर नि. लाईनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए बेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 14) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक सं. 1.220B/न.भू.सी/2001दि. 2.3.01के अत्रतगत वाद सं. 1.264/2699सरकार बनाम नरायणदास मे धारा 45के अत्रतगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94मे गाटा सं. 1.336मि/ 1983.03वर्ग मी.गाटा सं. 1.263मि/2116.20वर्ग मी.
- 15) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू- धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो ह. ले. 11.5.2001
- 16) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकवड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता सं. 1.370से मृतक नरायनदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायनदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायनदास नि.ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह. ले. 10.4.2002
- 17) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं0688/134/1601/06आदेश दिनाक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातास0370गाटास0303मि रकवा 0.221व गाटास0239मि 0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनाक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 18) ग् गंगाराम उर्फ गजरास व कु व् रिसेन पुत्र खिम्मी नि०सोनकपुर का नाम तथा बादह विक्र य पत्र ग् गंगाराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव० विक्र य पत्र अमृत लाल आदि बहक कें चन तलवार के आधार पर ग्राम सोनकपुर स्थित आराजी खातास0370गाटास0303मि/ 0.221है० मे से 0.202भाग से ग् गंगाराम उर्फ गजरास
- 19) व कु वर सेन पुत्र खिम्मी नि०सोनकपुर का नाम खारिज क रके श्रीमती कें चन तलवार पत्नी सी०एल०तलवार नि०102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो ह०आर०के ०दिनाक 31-1-07

- 3) आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक सू. 1321/न.भू.सी./2001 दि. 14.5.01 सू. लिग्न पत्रांक सू. 10890/न.भू.सी./99 दि. 8-4-99 के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं नगर भूमि अधिनियम 1976 की धारा 10(1) के अन्तर्गत भू-धारिका श्रीमती कमला वही पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लाईन मुरादाबाद सोनकपुर स्थित गाटा सू. 10355 के 1/2 भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2) के अन्तर्गत आदेश दि. 12.5.98 को भू-धारक के पक्ष में छोड़ दिया है ह.ले. 2.7.01
- 4) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सू. 10235/न.भू.सी./07 दि. 29.11.07 के अन्तर्गत पूर्व में अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सू. 1.90 मि. 1423.20 वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा सू. 1.516 मि. 1144.72 वर्ग मी. कु. ल. 2567.92 वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री तलवीर सरन भटनागर पुत्र स्व. रामचन्द्र नि. हरथला मुरादाबाद के पक्ष में दर्ज हो तथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागर पुत्र रामचन्द्र नि. हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वाद सू. 1.448 5011 में सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा सू. 1.516 रकवा 1144.72 वर्ग मी. 0 ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सू. 1.90 मि. रकवा 1423.20 वर्ग मी. 0 कु. ल. 2567.92 वर्ग मी. 0 भूमि पर तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90 को राज्य सरकार में पक्ष में कब्जा लिया गया। अतः उक्त भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज हो ह.आर.के. 010.3.08
- 5) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि. 23.10.08 के अनुपालन में आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं. 305/94 धारा 45 नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि. 10.4.92 के अन्तर्गत सरकार
- 6) वनाम जेठू में गाटा स. 866 व 844 जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर स्थित है की क्रमशः 4856-40 वर्ग मी. 0 व 647.52 वर्ग मी. 0 अर्थात् कुल 5503.92 वर्ग मी. 0 भूमि उसकी कुल 8393.52 वर्ग मी. 0 में से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60 वर्ग मी. 0 भूमि होती है
- 7) अतः भू-धारक की 889.60 वर्ग मी. 0 भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा स. 650 से अभ्यर्पित की जायेगी तदनुसार आदेश दि. 8.8.77 संशोधित समझा जाय। ह.आर.के. 0 दि. 3.11.08
- 8) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158/न.भू.सी./08 दि. 30.7.08 के अनुपालन में पत्रांक 114/न.भू.सी./03 दि. 28.5.03 के अन्तर्गत सीलिंग वाद सू. 1.1532.5019 में दायर अपील में माननीय अपर जिलाजज षष्ठम मुरादाबाद के
- 9) आदेश दि. 29.5.95 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्ड किया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका सू. 16729/97 माननीय न्यायालय के आदेश दि. 15.3.97 के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात् निरसन अधिनियम
- 10) 1999 प्रभावी हो जान के कारण सू. सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 4.3.2003 के द्वारा उक्त वाद निरसित किया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदनुसार वाद में कब्जा ली गई निम्न लिखित भूमि पर भू-धारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान
- 11) पर भू-धारक श्री बालकिशोर भटनागर पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र नि. हरथला के नाम दर्ज हो ग्राम का नाम/गाटा सू. 1/क्षेत्रफल वर्ग मी. 0 में क्रम सू. 1-ग्राम मऊ गाटा सू. 1.516 मि. रकवा 1144.72 वर्ग मी. 0 व 2-ग्राम सोनकपुर गाटा सू. 1.90 मि. रकवा 1443.83 वर्ग मी. 0 कुल 2 कित्ता रकवा 2588.55 वर्ग
- 12) मी. 0 ह.आर.के. 07.3.09
- 13) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद, वाद सं. 1856/28.5.09 को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं. 385 के खसरा न. 866 रकवा 0.486 हे. 0 लगानी बमुजिब, खतीनी के पूर्ण भाग में से 0.80 एकड़ पर से विक्रेता, चन्द्रसेन पुत्र स्व. जेठू निवासी मिलक भोला सिंह तह. 0
- 14) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर क्रेता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह. 0 अमरोहा जिला जे.पी. नगर का नाम सहखातेदार के साथ, स. 0 भू. 0 के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92 के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात् मृतक शेर सिंह, पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह. 0.
- 15) अमरोहा जिला जे.पी. नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल, निवासी हाल खुशहालपुर तह. 0 व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95 स. 0 भू. 0 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो ह.आर.के. 5.6.09
- 16) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं. शून्य /2007-08 धारा 219 एल. 0 आर. 0 एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008 के अन्तर्गत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं. 195 पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008 के लिए नोटिस जारी
- 17) किये जाय। अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अपील सं. 789/07 एवं अपील सं. 26/123 उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं. 353/03 भानुप्रकाश वनाम मु. पुनिया तथा वाद सं. 97 भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- 18) पुनिया तलव को जाय। तब तक प्रतिपक्षी सं. 1 भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि. दलपतपुर तह. 0 व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण विक्रय करने से निषेध किया जाता है। ह.आर.के. 0 दि. 25.7.09
- 19) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि. 22.9.09 के अनुपालन में आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/न.भू.सी./08 दिनांक 3.10.08 के अन्तर्गत शासन देश स. 513/उन्चास-152(47) यू.सी. 0/83 दिनांक 6.9.86 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते
- 20) हुये नये सिरे में भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावर्तित की गई। तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 24.12.87 द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित स्थित गाटा स. 879 से

- 10) गाटा स्. 1.873 से 654.44 वर्ग मीटर कुल 9598.31 वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई। सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 17.2.01 के निरसन अधिनियम 1999 के अनुसार वाद पत्राक पत्रावली निक्षेप की गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01 के द्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा स्. 1.879/8943.87 वर्ग मीटर कुल 654.44 वर्ग मीटर से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकित करने हेतु लिखा गया।
- 11) जबकि उक्त वाद में गाटा स्. 1.879/8947.87 वर्ग मीटर गाटा सं. 873 रकबा 1059.14 वर्ग मीटर का कब्जा दिनांक 22.3.79 को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया। अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व जारी पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01 के प्रस्तर-3 में अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स्. 1.873/654.44 वर्ग मीटर के स्थान पर 1059.14 वर्ग मीटर सही पढा जाय। ह0आर0के023.9.09
- 12) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न0भू0सी0/010 दिनांक 30.4.10 के अत्रगत वाद सं. 2759/101 सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0 में धारा 10(3) के उपरान्त धारा 10(5) की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999 के अत्रगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 20.2.08 के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतः गाटा सं. 538/1133.16 वर्ग मीटर गाटा सं. 541/654.45 वर्ग मीटर भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0 मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर0के0दि. 5.5.10
- 13) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद वाद स्. 1.455/28.5.10 को आदेश हुआ कि खाता स्. 385 के गाटा स्. 1.866/0.486 हे. लगान व मुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्रेता चन्द्र सेन पुत्र स्व0 जेहू नि0 ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रेता उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के016.6.10
- 14) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद स्. 1.117/28.5.10 को आदेश हुआ कि खाता स्. 385 के गाटा स्. 1.866/0.486 हे. लगान व मुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्रेता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि0 ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रेता उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 27.7.10
- 15) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद स्. 1.77/10 धारा 143 ज0वि0 अधि0 आदेश दि. 18.6.10 के अत्रगत में हिन्द निहोन प्रोटीन्स वनाम सरकार में तहसील आख्या/सस्तुति के आधार पर खाता स्. 1.30 गाटा स्. 1.566/0.028 का 1/2 भाग एंव खाता स्. 1.385 के गाटा स्. 1.538 मि/0.113
- 16) 541/0.065 हे. को अकृषिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह0आर0के0 018.8.10
- 17) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं. 31/820/454/2011-12 धारा 34 LR ACT ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं. 371 गाटा सं. 263/2043.20 वर्ग मीटर भानुप्रकाश वनाम मु0 पुनिया में दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्रुत वाद में वसीयत अपंजीकृत होने के फलस्वरूप धारा 169 में हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 में मौके पर आबादी/गैर कृषि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विधि लागू है, विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, उक्त विवेचना के आधार पर नामान्तरण प्रशूचना निरस्त की जाती है। ह0आर.के...1.4.2013
- 18) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण - सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न0भू0सी0/ रिट0/2014 दिनांक 18 नवम्बर 2014 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 35789/2011 स्व. खमानी बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) में पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक 31.10.2014 के अनुपालन में ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं. 669 रकबा 2549.61 वर्ग मीटर भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते में अंकित है, जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये, शासनादेश संख्या 319 जी0क दिनांक 14.01.1980 में धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों का रिमार्क कॉलम में अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग केवल कृषि के लिये कि या जायेगा, 2- भूमि प्लानिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा, परन्तु कृषक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 19) कि या जायेगा, 3- कृषक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन) में उल्लिखित कि सी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट किरी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष में कि या जा सके गा, ह0आर.के...2.12.2014
- 20) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वाद सं. 01/2151/35401/4307 आदेश दि. 24.8.15 को आदेश हुआ कि खाता सं. 371 के गाटा सं. 263/1 रकबा 0.2020 हे. अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान व मुजिव खतौनी पर अंकित मृतका श्रीमती पूनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 21) स्व0 ओमप्रकाश नि0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं. भू0के रूप में अंकित हो। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प0क0।। ख आदेश दि. 12.2.1994 निरस्त कि या जाता है। ह0आर.के. 031.8.15
- 22) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वाद सं. 01/2015/135401/4413 धारा 210 एल0आर0एक्ट आदेश दि. 28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि बनाम भानुप्रताप शर्मा में खतौनी वर्ष 1420-25 के खाता सं. 371 के खसरा नं. 263/1 रकबा 0.2020 हे. अर्थात् 2020.00 वर्ग

- श्रीमान बमजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है । ह0आर.के 07.9.15
- 68) आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T20141354015842 आदेश दि. 15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371के खसरानं.873मि रकवा 0.040हे. लगान खतौनी के बकदर भाग मे से 0.0100हे. पर से विक्रेता वफाती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 69) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्र ेता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेन्द्र सक्सेना निवासी डी-73 , आवतिका कालौनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे बजरिये बेनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं0भू0के रूप मे दर्ज हो । ह0आर.के 0 68) 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर त्रुटिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. T20141354015892 आदेश दि.15.09.15 दर्ज हो गया है । की त्रुटि की शुद्धि करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर अंकित कि या जाता है । ह0आर.के 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद , पत्रांक 2060/न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फैजबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं -316/1589 मे धारा -45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है ,जिसके सम्बन्ध मे धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे , अमलदरामद कि या गया , लेकिन न प्रश्नगत वाद मे धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम -1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है, ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित करें . ह0आर.के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0भू0सी0/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 मे धारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध मे धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों ह0आर.के 23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 436/5216 सरकार बनाम छोटेलाल में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हों ह0आर.के 0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों, ह0आर.के 0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0798मि0 की उद्घरण खतौनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमे 0.3080हे0अर्थात 3080वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं0 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं0 190/602सरकार बनाम मुख्खार मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564.25व0मी0भूमि सीलिंग से मुक्त है अतः ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 3080व0मी0भूमि जिसपर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो । के स्थान पर श्री अख्तर ,मटरू एवं श्री मुख्खार अथवा उनके वैध वारिसो के नाम दर्ज हो । ह0आर.के 0दि 12.8.16
- 80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं0 टी 20151354014413धारा 210एल0आर0एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा मे आदेश दि 28.9.16के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015को भी निरस्त किया गया है खतौनी वर्ष 1420फ से 1425फ

371 के ससस नं० 263/1 रकबई 0.2020हे०अर्थात 2020.00वर्ग मीटर लगान वमूजीब दर्ज हो ह०आर०के०दि 03.10.16

के आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन मे आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या 10092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि मे ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed, ह०आर०के०दि 03-11-17

82) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न०भू०सी०/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सीलिंग वाद संख्या 316/1589 सरकार बनाम श्री महबूब आदेश दिनांक 28-05-2016 म०उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र०सरकार मे ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 रकबई 4168-41 व गाटा संख्या 547 रकबई 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन मे उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महबूब अथवा उसके वेध वारिसानो के नाम दर्ज हो ह०आर०के०दि 03-11-17

83) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन मे जिलाधिकारी मुरादाबादके आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 17-06-16 व 04-08-16 अपास्त किये गये है तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटेलाल अथवा उसके वेध वारिसानो के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का बालकिशन अथवा उसके वेध वारिसानो के नाम एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219/न०भू०सी०/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 3080 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो के स्थान पर भूधारक श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वेध वारिसानो के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये है दिनांक 12-08-16 को वापस ले लिया गया है तदनुसार उक्त पत्रों के आधार पर भूधारकों के पक्ष मे किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता है ह०आर०के०दि 24-3-17

84) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन मे - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं टी201813540100557 धारा 144 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के निस्तारण तक मौके पर यथा स्थिति बनाये रखे ह०आर०के०दि 19-02-18

85) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एस०बी०तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी० 2017130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 27-07-2017 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं० 371 के गाटा सं० 263/1 रकबा 0.202हे० अर्थात 2020.00 वर्ग मी० पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/08/15 एवं अपीलीय न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28/09/2016 में किसी हस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है . इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो, भी निरस्त किया जाता है ह०आर०के० दि 19/05/2018

86) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा०नि० दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 20201313500719001441 राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक 19.11.2020 को आदेश हुआकि खाता सं० 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह ,ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि०भोगपुर मिठौनी के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह०आर०के०दि 28.12.2020

Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT(REGISTERAR KANOONGO)

दिनांक:समय:स्थान: 12-02-2020 04:01:37 तहसील : मुरादाबाद

एक आदेश काटने की प्रतिलिपि सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा जहाँ डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : JUSHAIR BHATNAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2020 04:01:37

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण सचोनी का वेरीफिकेशन <https://apkhkh.gov.in/Website> पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।



शपथ-पत्र

समस्त

सचिव,
रेरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश।



शपथकर्ता-पंकज वर्मा, सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

1-यह कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सहयाद्रि पॉकेट-ए, आवासीय योजना हेतु ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की भूमि आपसी समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से ऋण/समायोजन के माध्यम से प्राप्त की गयी है/की जा रही है, जिनमें से निम्नलिखित भूमि में कुछ भूमि का समायोजन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के स्तर पर एवं नामान्तरण तहसील सदर, मुरादाबाद स्तर पर अवशेष/प्रक्रियाधीन है :-

क्र.सं०	खसरा सं०	नामान्तरण हेतु अवशेष भूमि हेक्टे० में
1	620	0.0800
2	628	0.2670
3	636	0.2145
4	640	0.0738
5	641	0.3930
6	644	0.2850
7	647	0.0320
8	657	0.2000
9	683	0.1780
10	690	0.1447
11	693	0.0945
12	695	0.0230

2-यह कि बिन्दु सं०-1 के अनुसार, जिन गाटो पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का नाम वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है (तहसील स्तर पर नामान्तरण वाद विचाराधीन होने के कारण), उन गाटो की भूमि को, ले-आउट प्लान में प्लॉट्स आदि के रूप में नियोजित किया गया है, परन्तु उन प्लॉट्स आदि का विक्रय, प्राधिकरण द्वारा, तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि उन प्लॉट्स से सम्बन्धित गाटो की भूमि का, नामान्तरण, राजस्व अभिलेखों में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में न हो जाये।

3-यह कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित भूमि के उक्त गाटो, जिन पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का नाम तहसील सदर, मुरादाबाद में वाद विचाराधीन होने के कारण अंकित नहीं हो पाया है, उन गाटो पर लगभग 10 से 12 सप्ताह की समयावधि के भीतर, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का नाम अंकित हो जायेगा, जिसके उपरान्त उद्धरण खतीनी की नकल उपलब्ध करा दी जायेगी।

4-यह कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सहयाद्रि पॉकेट-ए, आवासीय योजना में ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित उक्त गाटो से सम्बन्धित समस्त (Non-Encumbrance Certificate) भार मुक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।

शपथकर्ता

Colemnly affirmed before me by Shri/Smt./Kin.....
deponent who is identified by Shri/Smt./Kin.....
clerk of Shri/Smt./Kin..... Advocate
I have satisfied my self after examination the depo-
nent that he/she understood the contents of the
affidavit and the same has been read over and
explained by me. Recd Rs. as fees
\$i Jin

Pankaj Verma JP

शपथकर्ता

Scanned with CamScanner
Advocate
Dist. Moradabad
Regd. No. 10724/14
Exp. Dt. 25/11/2023